समाहरणालय, बाँका

(पर्यटन शाखा)

बाँका जिलान्तर्गत ओढ़नी डैम क्षेत्र में पर्यटन का बढ़ावा दिये जाने हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित, निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठानों के चयन हेतु आमंत्रण सूचना।

ओढ़नी डैम परिसर में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के पर्यटन की सुविधायें यथा– जिला प्रशासन द्वारा क्रय किये गये मोटर बोट का परिचालन, पार्किंग की व्यवस्था एवं केफेटेरिया आदि की व्यवस्था वाह्य एजेंसी के माध्यम से संचालित की जानी है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्मो/कम्पनी से विभागीय नियमों एवं शर्तों के अधीन निम्न प्रकार से आवेदन आमंत्रित की जाती हैं :–

कागजात जमा करने की तिथि एवं समय	सूचना प्रकाशन की तिथि से 16 अगस्त, 2021 के अपराह्न 04:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर
कागजात जमा करने का कार्यालय एवं समय	जिला पर्यटन शाखा, बाँका ; 11:00–05:00 बजे तक
कागजात संवीक्षा की तिथि	जिला क्रय समिति के समक्ष दिनांक–17.08.2021 को अपराह्न 03:00 बजे
संवीक्षा का स्थान	प्रभारी पदाधिकारी, पर्यटन शाखा, बाँका के कार्यालय प्रकोष्ठ में।

आमंत्रण सूचना की शर्तें निम्न प्रकार से है :–

1. इच्छुक प्रतिष्ठान द्वारा तकनीकी विवरणी लिफाफा में सीलबंद कर उपलब्ध कराना होगा।
2. तकनीकी संवीक्षा में सफल प्रतिष्ठानों को ही बोली लगाने का अधिकार होगा।
3. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं विहित प्रपत्र के लिए जिला के वेबसाईट www.banka.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही, इस संबंध में दूरभाष संख्या–9430029324 पर सम्पर्क कर अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4. कम्पनी/फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. अग्रधन के रुप में 50,000/–रू0 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बाँका के पदनाम से देय होगा।
6. मोटर बोट ऑपरेटर Ministry of Tourism, GOI Affiliated Institute या अन्य किसी संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारी होना चाहिये।
7. पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तरीय लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसमें 20% जैकेट बच्चों के उपयोग हेतु होगी।
8. कम्पनी को न्यूनतम वार्षिक शुल्क के रूप में कुल मो0–1,60,000/–(एक लाख साठ हजार) रू0 देय होगा, जो कि प्रति तीन माह पर मो0–40,000/–(चालीस हजार) रू0 की दर से कुल–04 तिमाही में जमा करना होगा। वार्षिक शुल्क का प्रथम किस्त जिला प्रशासन को अग्रिम के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. न्यूनतम वार्षिक शुल्क से अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्मो/कम्पनी को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
11. जिला प्रशासन द्वारा विशेष परिस्थिति में किसी भी समय आमंत्रण सूचना रद्द किया जा सकता है।
12. मानव संसाधन की सूची/संख्या होना चाहिए।
13. मोटर बोट लागत के सापेक्ष 100 प्रतिशत हैसियत प्रमाण पत्र।
14. कूड़ा निष्तारण की व्यवस्था हेतु योजना एवं मानव बल की व्यवस्था।
15. पर्याप्त संख्या में गोताखोर रखना होगा।
16. मोटर बोट के लदान क्षमता से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यक्ति मोटर बोट पर नहीं बैठेंगे।
17. किसी भी प्रकार का कुड़ा–करकट डैम रोड में फैलाना, बहाना वर्जित होगा।
18. प्रत्येक मोटर बोट ऑपरेटर एवं यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा।

19. मोटर बोट संचालन का समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित होगा।
20. पर्यटकों द्वारा मोटर बोट परिभ्रमण से प्राप्त शुल्क की राशि कम्पनी की आय मानी जाएगी।
21. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किराये दर के आधार पर यात्रियों से शुल्क लिया जायेगा।
22. जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी मोटर बोट का कभी भी निरीक्षण कर सकेंगे।
23. ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आमंत्रण सूचना दाखिल करने वाले व्यक्ति/फर्मो/कम्पनी आमंत्रण सूचना डालने से पहले ओढ़नी डैम स्थल पर जा कर क्रय किये गये मोटर बोट/मोटर बोट परिचालन क्षेत्र/केफेटेरिया एवं पार्किंग स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही आमंत्रण सूचना डालेंगे।
24. कम्पनी/फर्म को व्यवसायिक परिचालन की स्वयं/Joint Venture के रुप में अनुज्ञप्ति प्राप्त हो।
25. कम्पनी को उपर्युक्त व्यवस्थाओं के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
26. जिला प्रशासन द्वारा किसी भी समय आमंत्रण सूचना के शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।
27. जिला प्रशासन द्वारा तय किये गये तकनीकी बिन्दु के मानक पर सक्षम प्रतिष्ठान बाँका जिला/बिहार राज्य के निवासी को क्रमशः प्राथमिकता दी जायेगी।
28. प्रभारी पदाधिकारी, पर्यटन के द्वारा तीन वर्षों के लिए अनुबंध किया जाएगा एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अवधि विस्तार किया जाएगा तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त की जा सकती है।
29. जिला प्रशासन के पूर्वानुमति के बिना फर्म/कम्पनी के द्वारा सम्पूर्ण डैम परिसर में कोई भी अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी।
30. जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था फर्म के द्वारा की जाएगी। पार्किंग शुल्क का निर्धारण जिला प्रशासन के द्वारा किया जायेगा।
31. समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपरोक्त सभी शुल्कों में जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धि किया जा सकेगा।
32. आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी मोटर बोट परिचालन नियमों (SOP) का अनुपालन आवश्यक होगा। मोटर बोट से अग्र भाग के शीर्ष पर लाल झंडी का प्रयोग करना आवश्यक होगा।
33. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

07/08/21

जिला पदाधिकारी,
बाँका।